न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 13 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. तुलछाराम पुत्र श्री भगवानाराम के कायम मुकाम :– 1/1 हीराराम पुत्र स्व. श्री तुलछाराम, उम्र 31 वर्ष 1/2सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री तुलछाराम उम्र 27 वर्ष 1/3ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री तुलछाराम उम्र 23 वर्ष 1/4देवीलाल पुत्र श्री तुलछाराम उम्र 20 वर्ष 1/5श्रीमती रूपोदेवी पत्नी स्व. श्री तुलछाराम उम्र 56 वर्ष 2. श्रीमती वरजू देवी पत्नी श्री हीराराम उम्र 27 वर्ष सभी जातियान माली निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.)	**बनाम**	1.श्रीमती नैनूदेवी पत्नी मनसुखराम, जाति खत्री निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.) 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक शिव, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 113/2017 बअनवान तुलछाराम वगैरा बनाम श्रीमती नैनू देवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:– **23.07.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादीगण स्वर्गीग तुलछाराम की खातेदारी खेत खसरा संख्या 791/229 व 792/230 रकबा क्रमशः 07.01 व 12.12 बीघा कुल रकबा 19.13 बीघा तथा वादीनी संख्या दो की खातेदारी में खेत खसरा संख्या 1184/230 रकबा 07.01 बिस्वा सरहद मौजा शिव, तहसील शिव जिला बाड़मेर में आया हुआ हैं। इसी खातेदारी भूमि के सेढासेढ हाल में प्रतिवादीनी संख्या एक ने खेत खसरा संख्या 1172/229 रकबा 13.18 बीघा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

क्रय की है। अपीलांट/वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 791/229 व 792/230 की भूमि पर वादीगण ने दिनांक 18.01.1977 को न्यायालय के आदेश से पड़ौसी खातेदारान की सहमति से उक्त खेतों के चारों और पक्की माठ कायम कर सीमा कायम कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद मय स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया कि ग्राम शिव तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 783/221, 791/229 व 792/230 कुल रकबा 26.08 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 1184/230 रकबा 07.01 बीघा व खसरा संख्या 1172/229 रकबा 13.18 बीघा भूमि के संबंध मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया। वादग्रस्त आराजी नैशनल हाईवे संख्या 15 के पास में पड़ती है। तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा नेशनल हाईवे संख्या 15 को ही केन्द्र बिंदु मानकर अपीलार्थीगण के विरोध के बावजूद मिथ्या पैमाईश रिपोर्ट बनाई गई, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा उपलब्ध करवाये गये सीरियों के बिन्दू से किसी प्रकार की पैमाईश नहीं की गई। यहां तक की उक्त नेशनल हाइवें की भूमि पूर्व में कम अवाप्त की गई थी तथा वर्तमान में नेशनल हाईवे को विस्तारित किये जाने के कारण मौके पर प्रतिवादीनी की जमीन अवरलैप्स हो गई तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा झूठी पैमाईश रिपोर्ट बनायी गई, जिससे अपीलार्थीगण की कब्जाशुदा खातदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने एवं पक्का निर्माण करवाने हेतु आमादा है। यदि रेस्पोडेंट अपीलाथीगण के खेत की माठ को तोड़कर पक्का निर्माण करवाने में सफल हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना एवं सम्यक तामिल अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया। वादग्रस्त आराजी नैशनल हाईवे संख्या 15 के पास में पड़ती है। तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा नेशनल हाईवे संख्या 15 को ही केन्द्र बिंदु मानकर अपीलार्थीगण के विरोध के बावजूद मिथ्या पैमाईश रिपोर्ट बनाई गई, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा उपलब्ध करवाये गये सुरियों के बिन्दु से किसी प्रकार की पैमाईश नहीं की गई। यहां तक कि उक्त नेशनल हाइवें की भूमि पूर्व में कम अवाप्त की गई थी तथा वर्तमान में नेशनल हाईवे को विस्तारित किये जाने के कारण मौके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर प्रतिवादीनी की जमीन ओवरलप हो गई तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा झूठी पैमाईश रिपोर्ट बनायी गई, जिससे अपीलार्थीगण की कब्जाशुदा खातदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने एवं पक्का निर्माण करवाने हेतु आमादा है। यदि रेस्पोडेंट अपीलाथीगण के खेत की माठ को तोड़कर पक्का निर्माण करवाने में सफल हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम शिव तहसील शिव के खसरा संख्या 1172/229 रकबा 13.18 बीघा भूमि जरिये विक्रय विलेख क्रय कर लेने के फलस्वरूप नामांतकरण संख्या 520 से राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार अंकित हुई। इसमें से 01.00 बीघा भूमि (1618.74 वर्ग मीटर) नियमानुसार रोड सीमा 150 मीटर छोड़ते हुए ओद्यौगिक प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी शिव के संपरिवर्तन आदेश 718 दिनांक 13.04.2017 से संपरिवर्तित की जा चुकी है जो संपरिवर्तन आदेश के संलग्न प्लान में दर्शित अनुसार है, जिसकी मौका जांच रिपोर्ट मय चैक लिस्ट तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत होने पर प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण होकर भू–संपरिवर्तन हो चुका है।

अपीलांट्स ने अपील में अपना खेत खसरा संख्या 791/229 व 792/230 बीघा बताया परन्तु प्रस्तुत जमाबंदी मे यह भूमि अपीलांट संख्या 1/1 से 1/5 के पिता/पति के नाम है जो विरासतन उनके नाम अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई है। अपीलांट संख्या 02 खसरा संख्या 1184/230 की खातेदार है।

पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस में अपीलांटपक्ष का मात्र एक खसरा संख्या 791/229 रेस्पोडेंटस संख्या 01 के खसरा संख्या 1172/229 की सीमा से मिलता है। संपरिवर्तित भूमि और खसरा संख्या 791/229 की भूमि के मध्य पर्याप्त दूरी स्पष्ट दृष्टव्य है, वे एक दूसरे के सन्निकट नहीं है।

अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "विप्रार्थीनी/रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 01.07.2016 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान हल्का पटवारी एवं भू. अ. निरीक्षक से करवाया और पैमाईश के आधार पर खसरा संख्या 1172/229 निर्दिष्ट स्थान पर काबिज है।"

अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह साबित कर सके कि उनकी खातेदारी भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने कोई अतिचार/अवैध कब्जा कर निर्माण किया है। वे केवल आशंका और कल्पना के आधार पर अपील

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लाए हैं। उन्होने भी सीमाज्ञान नेखमंबदी के लिए आवेदन किया हुआ जिसकी कार्यवाही हो जाने पर स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांटस के पक्ष में कतई साबित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 113/2017 बअनवान तुलछाराम वगैरा बनाम श्रीमती नैनू देवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

23/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बीरहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner